

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

क्रमांक-पं.3(294)साक्षरता /2020/

1285-1317

दिनांक 10-7-2020

जिला कलक्टर
समस्त(राजस्थान)

विषय:- नवीन योजना **पढना-लिखना अभियान** के क्रियान्वयन बाबत।

संदर्भ:- स्कूल शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर के आदेश दिनांक 09.07.2020

महोदय,

निवेदन है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य में नवीन योजना **पढना-लिखना अभियान** की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः जिलों में उक्त कार्यक्रम का तुरन्त प्रभाव से क्रियान्वित किया जाना है। इस हेतु आपके मार्गदर्शन में जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त पढना लिखना अभियान के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समितियों के संदर्भित कार्यालय आदेश संलग्न है। आपके जिले में साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित समितियों के नाम व पद को नये प्रारूप अनुसार संशोधित करवाया जाना है कार्यक्रम के सुचारु एवं समरूपता से संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


संलग्न:- 1. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समिति के गठन का आदेश
2. भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन की प्रति

www.rajteachers.com


अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक, शिक्षा (समस्त संभाग)
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्त)
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त जिला)
5. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी(समस्त)


अतिरिक्त निदेशक